I/242955/2023

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48–5644/2022(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश़–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 2.4264 ha of forest land in favour of District Youth Services & Sports Hamirpur, HP, for the construction of National Centre of Excellance at Hamirpur, within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Others/152523/2022).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/09/32/2022 दिनांक 21/12/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपुरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4ण **शुद्व वर्तमान मूल्यः**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08. 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।

6ण The Penal CA has been proposed over double in the extent to the forest land of 0.27 ha used for the construction of road in 2007. The amount of Penal CA has accordingly deposited in Ad-hoc CAMPA account. Digital map, site suitability certificate, toposheet are uploaded with the compliance report of user agency.

7ण The user agency has uploaded the revised layout plan in online Portal.

8ण Decision in this regard will be taken by the State Government after verifying the facts of matter.

9ण The Commiittee under the Chairmanship of Nodal Officer cum APCCF FCA HP was constituted by Principal Secretary Forest. The report has been finalized by the Committee and the same is being submitted to State Government for further decision in the matter.

10ण The report has been finalized and is being submitted to State Government for further decision in the matter.

11ण The Committee headed by DFO Hamirpur has already been constituted.Copy of the letter has been uploaded on the Portal.

12ण The amount of Soil and Moisture conservation plan along with cost of its implementation has been deposited by user agency in Ad-hoc CAMPA.

13. प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास रिक्त पडें स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

14. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 194 Trees, 27 bamboo clumps and 25 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

16. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है। परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है।

17ण प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) की राशी 12,64,850/- रु0, दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण की राशी 136650/- तथा उस पर आकस्मिक व्यय की राशी 70100/-, शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) की राशी 2440000/- **रु0, तथा Cost of Soil Moisture Conservation Plan (@ 0.5 % of the total cost of the project) Rs 8200000/-**जो कुल 12111600 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।

18. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

I/242955/2023

19ए इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आश्य की वचन बद्वता Upload कर दी गई है।

19ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

20ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

21ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विभाग निगम वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी , वि ोशतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा ।

22ए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

23ए परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

24ए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

25ए केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

26ए पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।

27ए बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

28ए यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

29ए इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यावाही की जाएगा। बचनबद्वता सल्गन है।

30ए अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

भवदीय,

Signed by
Harsh Vardhan Kathuria
Date: 12-09-2023 15:01:08

नोड़ल आफिसर एंव अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0